## Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legisletive Assembly of Rajasthan State from the Khandar(093) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

## Shri JITENDRA KUMAR GOTHWAL

Village-shivad, tehsil-chouth ka barvada, district-sawai madhopur

Sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- Sawai Madhopur

Dated- 03-Dec-2023

Signature

वंशीधर योगी
(Bक्षिडिजिंगिस्मध्याती)
(प्रस्तीसाति) छाडिल्स 093
Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate
Khandar

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

खंडार(093) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल ग्राम-शिवाड तहसील- चौथ का बरवाडा जिला - सवाई माधोपुर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान- सवाई माधोपुर दिनांक- 03 दिसम्बर 2023

हस्ताक्षर

(बेन्शी धर योगी)

रिटर्निय अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रिटर्निया अधिकारी

(एस.डी.एम.) खण्डार 093